

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4741

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नकली आयुर्वेदिक दवाएं और गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सक

4741. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश भर में बड़े पैमाने पर नकली आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री हो रही है और गैर-मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक चिकित्सक और दवाइयों की दुकानें मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के विनिर्माण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने और उसे विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (ग) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सकों और दवा की दुकानों के प्रत्यय-पत्र का सत्यापन करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार के पास नकली आयुर्वेदिक दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में कोई आंकड़े अथवा अध्ययन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का अनधिकृत चिकित्सकों और विक्रेताओं के लिए लाइसेंस संबंधी कड़े मानक और शास्तियां लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) नकली आयुर्वेदिक दवाओं और अयोग्य चिकित्सकों से जुड़े जोखिमों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के विनिर्माण, वितरण और बिक्री की निगरानी और विनियमन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

1. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं से संबंधित प्रावधान औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IV क और अनुसूची-I में तथा औषधि नियम, 1945 के नियम 151 से 169, अनुसूची-ड (झ), न और न-क में निहित हैं। निर्माताओं के लिए विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें सुरक्षा और प्रभावशीलता का प्रमाण, औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-न के अनुसार अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का अनुपालन और संबंधित फार्माकोपिया में दी गई दवाओं के गुणवत्ता मानक शामिल हैं।

2. आज की तारीख तक, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं और कच्चे माल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए 34 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं और 106 निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं अनुमोदित हैं।

(ग): आयुर्वेदिक डॉक्टरों की योग्यता राज्य भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है।

(घ) और (च): आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एसयू और एच) दवाओं के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम को केंद्रीय क्षेत्र योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के तहत कार्यान्वित किया गया है, जो देश भर में स्थापित एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी), पांच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्रों (आईपीवीसी) और 99 परिधीय भेषजसतर्कता केंद्रों (पीपीवीसी) के तीन-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। कार्यक्रम नियमित रूप से एसयू और एच दवाओं के लिए संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट कर रहा है। यह योजना मुख्य रूप से आयुष दवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित है। भेषजसतर्कता कार्यक्रम आयुष दवाओं के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जागरूकता विकसित करने में योगदान देता है और नकली दवाओं के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जानकारी देता है।

आयुष मंत्रालय ने दिनांक 08.10.2024 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें आम जनता को एसयू/एच औषधियों/दवाओं के संबंध में तथ्यों से अवगत कराया गया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापनों से बचने का आग्रह किया गया है, जो हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में भारत भर के 100 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

(ड): आयुष मंत्रालय ने एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के तहत 21.09.2020 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आयुर्वेद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) की स्थापना की है। एनसीआईएसएम अधिनियम, (2020) में चिकित्सकों के लिए विशिष्ट दंड परिभाषित किए गए हैं, जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 34 के तहत किया गया है।
